[Shri Hari Vishnu Kamath]

putting it to the vote, even the motion for consideration of the Bill, because that would not be in order according to the rules of the House unless there is at least two-thirds majority of the members present in the House as well as a simple majority of the total membership. And that being impossible today, on the strength of the assurance given by the Minister, who is not known for breach of promise, convinced and hoping, not against hope, but keenly hoping that Government would bring a Bill on these lines in the next session, budget session itself, or at the latest during the next year, 1966, I would seek leave of the House to withdraw the measure at this stage.

Mr. Deputy-Speaker: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his Bill.

Some hon. Members: Yes.

The Bill was, by leave, withdrawn.

16.59 hrs.

ALL INDIA SERVICES (AMENDMENT) BILL

—(INSERTION OF NEW SECTION 3A)

by Shri C. K. Bhattacharyya—contd.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the All-India Services Act, 1951, be taken into consideration."

While moving this Bill, I want to give a brief summary.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may continue his speech the next day.

16.59½ hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FORTY-SECOND REPORT

Shri Rane (Buldana): I beg to present the Forty-Second Report of the Business Advisory Committee.

---

17 hrs.

*REPAYMENT OF LOAN BY TISCO AND IISCO

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, टिस्को और इस्को को सरकार के द्वारा ग्यारह, बारह साल पहले जो विशेष कर्जा दिया गया था उस के बारे में मैं यह बहस उठाना चाहता हूं । इस पर इस सदन में कई बार प्रश्न पूछे गये हैं और उन के जवाब भी आ चुके हैं । लेकिन मेरा खयाल है कि सरकार का जो रवैया इधर दस बारह सालों से रहा है उस से सदन के किसी भी सदस्य को सन्तोष नहीं है । खुद इस्पात मंत्री ने पिछली मर्तबे इस कर्जे की बात को लेकर यह बात कही थी कि यह बड़ी दुर्दैवी कहानी है । इस सदन के अधिक से अधिक सदस्यों की यह राय है कि यह केवल दुर्दैवी नहीं है बल्कि शर्मनाक है । इस कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जहां तक बड़े पूंजीपतियों का सवाल है सरकार का रुख उनके बारे में सख्ती का नहीं रहा है । अगर सख्ती का रुख रहा होता तो इस के बारे में कोई दूसरे कदम अवश्य उठाये जाते ।

अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो करार किया गया और 10 करोड़ रु० टाटा के इस्पात कारखाने को दिये गये और 10 करोड़ रु० बीरेन मुकर्जी के कारखाने को दिये गये, और बाद में 18 लाख रु०

---

*Half-an-hour Discussion.

इस्को को और दिये गये, इसका पूरा इतिहास ऐसा है कि लगता है कि जैसे बीरेन मुकर्जी साहब ने और टाटा साहब ने पूरे देश पर बड़ा उपकार किया है। वे ऐसा बड़ा काम कर रहे थे निःस्वार्थ बुद्धि से जिसको लेकर हमें हमेशा के लिये उनके प्रति उपकृत होना चाहिये ।

17.01 hrs.

[SHRI SONAVANE *in the Chair*]

अब टाटा और बीरेन मुकर्जी साहब को सरकार ने क्या क्या सहूलियतें दी हैं इसके बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं । मेरे पास टैरिफ कमिशन की सन् 1959 की रिपोर्ट है । इस में पहली बात तो यह कही गई है कि उनको 10 करोड़ रु० दिये गये । इसके बारे में दूसरी चीज यह है कि कब इसको वापस करना चाहिये इसकी कोई सीमा नहीं रखी गई । सूद के बारे में भी कोई इन्तजाम नहीं था, और 1958 तक उनका सूद तो पूरी तरह माफ कर दिया गया था । फिर अगर सरकार उनको मदद न करती तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जो कर्जा उनको मिला वह न मिलता । तो सरकार ने वर्ल्ड बैंक द्वारा जो कर्जा दिया गया उस की गारन्टी दी । इतना ही नहीं, बल्कि उस के रेहन की मागज की चर्चा भी हो गई और सरकार ने अपने कर्जे के बारे में जो उस का हक था उस को छोड़ कर पहला मार्गेज वर्ल्ड बैंक को दे दिया ।

इसके बाद इस्पात के दामों का मसला आया और इस्पात के दामों के मसले को लेकर सरकार ने इतनी ज्यादा सहूलियतें उनको दी हैं कि उनके बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूं । सब से पहली बात तो यह है कि चूंकि इस्को की पैदावार का खर्च ज्यादा था, इस लिये दाम निश्चित करते समय इस्को को भी काफी मुनाफा मिले इस दृष्टि से ऊंचे दाम रखे गये । इस से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस्को का फायदा तो हुआ ही, साथ साथ टाटा को भी उस से बहुत ज्यादा फायदा मिला क्योंकि उन की पैदावार का खर्चा कम था । इस तरह की सहूलियतें सरकार के द्वारा दी गई । इस के बाद भी इस्पात के दाम कई मर्तबे बढ़ाये गये ।

इसके बारे में हिन्दुस्तान के जो पूंजीपति हैं उन की बात मेरी समझ में नहीं आती है । दुनिया में जो चीजें बनती हैं उन से उन का अपना खर्च और दाम जब कम रहता है तो वे खुले बाजार का पक्ष लेने लगते हैं, और ऐडम स्मिथ के अनुयायी बन जाते हैं, लेकिन जब दुनिया की चीजों के दाम और पैदावार के खर्च जो चीजें इस देश में बनती हैं उस के पैदावार के खर्च और दाम से कम होता है, जैसा कि आज करीब-करीब सभी चीजों के बारे में है, तब यह फ्रेडेरिक लिस्ट साहब के अनुयायी बन जाते हैं और मांग करते हैं कि उनको संरक्षण मिलना चाहिये । संरक्षण की दीवारों के अन्दर हिफाजत से रह कर, स्वदेशी के नाम पर वे कहते हैं कि हम उद्योगों का विकास करेंगे । जब इस कर्जे के वापस लौटाने की बात हुई तो दामों का सवाल आया और टैरिफ कमिशन के साथ उनकी बात हुई । उन्होंने टैरिफ कमिशन से कहा है कि चूंकि हमारा पैदावार का खर्च कम है, इसलिये दुनिया में इस्पात की जो कीमत है उसी के अनुसार हमें दाम मिलना चाहिये । उस वक्त वह ऐडम स्मिथ के अनुयायी बन गये लेकिन अब उनका दाम और उनका खर्च ज्यादा बढ़ गया तब वे संरक्षण और स्वदेशी की बात करने लगे ।

इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि एक दफे ऐडम स्मिथ का नाम लेकर और दूसरी बार फ्रेडेरिक लिस्ट और स्वदेशी का नाम लेकर उनको हम कहां तक और कब तक हिन्दुस्तान की जनता को लूटने का अधिकार देने वाले हैं और सरकार कब तक इस बात को कबूल करने वाली है संरक्षण के नाम पर । मेरा यह कहना है कि ग्रामोद्योग और हाथ से बनने वाली जो चीजें हैं उन में हजारों वर्षों तक

[श्री मधु लिमये]

हिन्दुस्तान बहुत उच्च कोटि की पैदावार करने वाला देश रहा है, लेकिन जब से वह औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई है तब से उसका स्तर बहुत गिर गया है। मैं ने कई उद्योगपतियों से पूछा कि आप एक चीज कारखाने में बनने वाली बतलाइये जिस को आप गुणवत्ता, दाम आदि सभी चीजों को देखते हुए दुनिया में सब से अच्छी कह सकते हैं। उन्होंने मुझ से कहा ऐसी एक भी चीज नहीं है। तो औद्योगिक क्रान्ति और यन्त्रीकरण के बाद पैदावार के किसी भी क्षेत्र में हिन्दुस्तान प्रगति नहीं कर पाया है।

कुछ दिन पहले मैंने आंकड़े मांगे थे वित्त मंत्री से कि जो बुनियादी रसायन की जो चीजें हैं उन के भारतीय दामों की अगर दुनिया के जो तरक्की पसन्द देश हैं जैसे पश्चिमी जर्मनी है, जापान है, ब्रिटेन है, अमरीका है, उनके साथ तुलना की जाये तो क्या आंकड़े मिलते हैं। बतलाया गया कि जिसको बेसिक कैमिकल्स बुनियादी रसायन कहते हैं वह हिन्दुस्तान के दुनिया में सब से महंगे हैं। इसी तरह की बातें करीब करीब सभी उद्योगों के बारे में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बात को कब तक बर्दाश्त करने वाली है। अगर यह संरक्षण की दीवार तोड़ दी जाये तो मेरा खयाल है कि निजी क्षेत्र जो हमेशा अपनी कार्यक्षमता की डींग हांकता है कभी भी शायद दुनिया की स्पर्धा में टिकेगा नहीं।

अब सरकार से मेरी यह शिकायत है कि जहां तक छोटे लोगों का सवाल है, आप भ्रष्टाचार को ले लीजिये, दाम नियंत्रण को ले लीजिये, राष्ट्रीयकरण को ले लीजिये या आप कम्पनी की कानून की धारा 81 को ले लीजिये, जिस का संशोधन करके कर्जे का रूपान्तर हिस्सों में करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में लिया है, इन तीन-चार अधिकारों का, अर्थात भ्रष्टाचार को रोकने का अधिकार, कर्जे को हिस्सों में रूपान्तर करने का अधिकार, राष्ट्रीयकरण का अधिकार, दाम नियन्त्रण का अधिकार, इस्तेमाल सरकार छोटे लोगों को दबाने के लिये और खत्म करने के लिये करती है। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है। जहां भी टाटा साहेब, बीरेन मुकर्जी साहेब और बिड़ला साहब का सवाल आता है यह सरकार बिल्कुल कायरता का व्यवहार करती है और बुजदिल बन जाती है।

इस्पात के मसले को आप ले लीजिये। इस्पात के दाम लगातार सरकार बढ़ाती रही है और पूंजीपतियों को ज्यादा दाम देती रही है। लेकिन परसों इस्पात मंत्री ने एक विधेयक रक्खा था मैटल कारपोरेशन के बारे में। बड़ी दर्दनाक कहानी है। यह साबित करके बतलाया गया था कि उनके दाम निश्चित करते समय जानबूझ कर कम दाम रखे गये थे ताकि वह कम्पनी मुनाफा न दिखा पाये और खत्म हो जाये। राष्ट्रीयकरण भी उस कम्पनी का इस लिये किया गया, यहां पर यह कहा गया, और उस की पूरी तरह से सफाई नहीं हो पाई है कि बिड़ला साहब की हिस्सेदारी कबूल करने से उन्होंने इंकार किया था इस लिये राष्ट्रीयकरण की कुल्हाड़ी उनके ऊपर मारी गई। मैं राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त का विरोधी नहीं हूं, बल्कि मेरी यह धारणा है कि जब तक सभी बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता है और मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की खिचड़ी नीति को जब तक खत्म नहीं किया जाता है, भ्रष्टाचार को आप रोक नहीं सकते हैं। इस सिलसिले में जो श्री भट्टाचार्य का विधेयक है मैं समझता हूं वह बहुत अच्छा है कि सरकारी नौकरों द्वारा कम्पनियों में नौकरियां करने पर पाबन्दी होनी चाहिये। यह सारी बातें हैं। राष्ट्रीयकरण की कुल्हाड़ी उन्हीं लोगों पर मारी जाती है जो छोटे लोग हैं और बड़े लोगों का साथ नहीं देते हैं। इसी तरह से कम्पनी कानून में संशोधन किया गया। उस वक्त हम यह सोचते थे कि चूंकि बीरेन

मुकर्जी साहब हैं, टाटा साहब हैं, वह कर्जा नहीं लौटा रहे हैं .... तो कानून के अन्दर जो नये अधिकार सरकार को मिले हैं उनका इस्तेमाल सरकार हिस्सों में रूपांतर करने के लिए करेगी लेकिन यह नहीं हुआ और इस्पात मंत्री ने परसों बतलाया कि सरकार का ऐसा इरादा भी नहीं है। तो मैं इस वक्त इतना ही कहना चाहता हूं कि 53-54-55 में जो करार हुआ उसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पर तो इस्पात मंत्री की नहीं है, यह मैं मानता हूं क्योंकि उस वक्त वह केन्द्रीय सरकार में थे नहीं, लेकिन यह कांग्रेस सरकार की तो जिम्मेदारी है और उस वक्त वित्त मंत्री कौन थे मुझे याद नहीं, शायद देशमुख साहब रहे होंगे या और कोई रहे होंगे। लेकिन उनका जो इकरारनामा है उससे हमको ऐसा लगता है कि बिल्कुल जनता के हित को बेचने का काम इस करार के द्वारा किया गया और इस बात को भी स्वीकार किया गया कि विस्तार योजना को हाथ में लेकर बीरेन मुकर्जी और टाटा ने हिन्दुस्तान के ऊपर बड़ा अहसान किया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, इतना ही सरकार से आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास दाम नियंत्रण का अधिकार है, आपके पास कर्जे को हिस्सों में रूपांतरित करने का अधिकार है, आपके पास उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार है और साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत सुरक्षा आदि कानूनों के अन्दर और दूसरे कानूनों के अन्दर इलाज करने का अधिकार है, इन सभी अधिकारों का इस्तेमाल आप बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए और उनके आक्रमण को खत्म करने के लिए करेंगे, तभी जाकर जो समाजवाद की आप डींग हांकते हैं, उसके बारे में लोगों को तसल्ली होगी कि सचमुच ही यह समाजवाद की ओर बढ़ रही है। वरना हमें यह कहना होगा कि यह सारे अधिकार छोटे लोगों को दबाने के लिए है, और बड़ी मछलियों का जहां तक सम्बन्ध है, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कैसे कर दें कर्जे का हिस्सों में रूपांतर? टाटा से पैसा मिलेगा, टाटा तो बहुत चतुर आदमी है, वह स्वतंत्र पार्टी को भी पैसा देगा और कांग्रेस पार्टी को भी देगा। कांग्रेस पार्टी को ज्यादा देगा। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि स्वतंत्र पार्टी पूंजीपतियों का सबसे बड़ा दल है। यह पूंजीपतियों का दल है, लेकिन पूंजीपतियों का सबसे बड़ा दल यह सत्तारूढ़ दल कांग्रेस दल है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा बड़े लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए इस पहलू को भी सरकार मद्देनजर रखे, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : मैं सिर्फ इस सवाल को पिनप्वाइंट करना चाहता हूं कि जब राष्ट्रीयकरण की बात हम कहते हैं तो सरकार कम्पेन्सेशन की बात कह कर टाल देती है। तो जब मौका मिलता है जैसा कि इस संकल्प से मिला है तो कर्जों को क्यों नहीं इक्विटी शेयर्स में रूपांतरित करने का कदम उठाती है?

Shri B. K. Das (Contai): May I know what reasons these companies have given to Government for non-payment of the dues so far?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy): This is a question which has been hanging fire for the last 12 years, as my hon. friend, Shri Madhu Limaye, has said. I think I have followed his speech correctly; though he spoke in Hindi, it was in such Hindi that even an Andhra like myself could follow.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): You know Hindi very well.

An hon. Member: You could speak in Hindi also.

Shri Sanjiva Reddy: I wish I could.

This is a question which has been pending for the last 12 years. I do

[Shri Sanjiva Reddy]

not want to blame anybody for the agreement. It was an agreement arrived under particular circumstances 12 years ago. We wanted to increase production. Naturally, the companies wanted a little assistance. Therefore, Government gave TISCO and IISCO a loan so that production may increase. That was in the national interest. I am sure the gentlemen who entered into the agreement and advanced the money on behalf of Government did so with the best of intentions in those days. There is no use sitting in judgment over circumstances of twelve years ago.

But we have been placed in a difficulty because there were a number of conditions for the return of the money. The main thing was that we would have to give a special element out of which the loan could be repaid to Government. The Tariff Commission should fix what that special element should be. It was referred to the Tariff Commission. The Commission did recommend Rs. 8 per tonne as the special element to repay the interest and capital. But Government did not accept it in 1962. It is not as if the companies have defaulted. If we had accepted the recommendation and if the companies had defaulted, naturally we could take action. But the special element recommended was not agreed to by Government. Therefore, the companies did not agree to pay. I do not want to go into their capacity or otherwise to pay. But they could take shelter under the plea that the special element was not agreed to by Government in spite of the Tariff Commission's recommendation. The Tariff Commission recommendation was in the context of steel being controlled. But since two years we have reached a stage when part of the steel is decontrolled....

Shri K. D. Malaviya (Basti): Is it obligatory to accept always the Tariff Commission's recommendations?

Shri Sanjiva Reddy: Not at all. But as this condition was there, they could take shelter under that. Not that we simply accept the Tariff Commission's or any other Commission's recommendations; it is not at all obligatory. We could reject it; Government rejected it in this case. But they could take shelter under that, that since we have rejected their recommendation, they are not in a position to pay. Meanwhile partial decontrol came in. Some items are decontrolled and some are under control. There was some difficulty in fixing up the special element.

This matter was also raised in the Rajya Sabha through a half an hour discussion in September. I promised on the floor of the House that I would refer it back to the Tariff Commission and then we would collect the amount. I assured the House that the money would be collected. The question of their being rich or influential people did not strike us at all. They could afford to pay and we are going to collect it. Shri Limaye spoke about the elections coming. I do not think it ever occurred to us even in our dreams.

Mr. Chairman: That is the usual charge.

Shri Sanjiva Reddy: Therefore, I need not reply to it.

But then I did give a promise that we would refer it back to the Tariff Commission and after taking their advice, we would collect it. I made that promise here also while answering a question. But in view of partial decontrol, it was suggested to us by the Finance Ministry that it would be better to collect the money as quickly as possible by negotiation. The Finance Ministry, therefore, began negotiating with IISCO, Shri Biren Mukerjee. It went on for some time. Sometime in December, again I pressed the Finance Ministry and said, 'Now I must refer it back to the Tariff Commission and take whatever

steps are possible'. By then, the negotiations, though a little delayed, were ultimately leading to a final solution. The Finance Minister met Shri Biren Mukerjee and had discussions with him. The matter was referred to the Cabinet also some time in June while I was somewhere in Europe, and the Cabinet also approved of the arrangement. Therefore, the agreement which has been entered into now will give us immediate money; Rs. 5,18,26,476 has been deposited already in the bank by IISCO, and the other Rs. 5 crores will be paid by instalments with interest from 1961 onwards. At least we have immediately collected Rs. 5 crores, more than half the amount. The rest of it will be collected from 1969 March to 1972 March in instalments. It has been fixed already.

Having entered into an agreement with IISCO, we have referred the matter to TISCO also. We have asked them whether they would agree on the same terms, but we got a communication from them wanting certain slight modifications here and there in the agreement that we have negotiated with IISCO. We have told them that it is not possible, since we have negotiated the matter with IISCO and they have deposited the amount with the bank, it is not possible for us to change. We will be happy if they also agree to the same conditions that IISCO have accepted and deposit Rs. 5 crores in the bank. I hope they will also agree to pay Rs. 5 crores immediately now and the rest of the Rs. 5 crores as per the agreement.

We are not soft to them. It is not as though one individual is holding the monopoly of IISCO or TISCO. It is a limited company where Government has also some share, whether it is through LIC or somebody else. Government also has control. It is not as if we cannot control these companies. We have the powers. The one point that has been repeatedly thrown at us during Question Hour is why we have not converted the loans into equity shares, but it is admitted even by Shri Limaye that this was an amount given to them about 12 years ago on certain conditions. The Government felt that taking advantage of the later Act to convert the old loan might not be desirable.

श्री मधु लिमये : कानून ने तो यही कहा है कि पुराना लेना चाहिए ।

Shri Sanjiva Reddy: I know that. The power is there. I am not contradicting that. What he says is perfectly right. The power is there, but it is not that we should use it, everywhere, every time. If there is a default, even now that condition is there. We have agreed to some terms. If they fail at any time now, having entered into an agreement, we have a right, we will exercise that right, but they have paid half the amount immediately, and the other half they have agreed to pay in instalments.

We have been very careful in dealing with these people. I know that after all friends in the Opposition could throw all sorts of allegations, much more so because the elections are quite near. Therefore, we have been very careful. At every stage we have been consulting the Finance Ministry. The Finance Ministry initiated this. It is the Finance Ministry that continued the negotiations, and ultimately it is not the Finance or Steel Ministry, but it is the Cabinet as a whole that has approved of this agreement. This question has been pending for the last 12 years and I am glad that at least we have got Rs. 5 crores share and now, cash in the bank, and the other amount also will be collected. This unfortunate story will no more be there before the country and the Government. I am sure my hon. friends of the Opposition, Shri Limaye and Shri Pattnayak, would also approve of the action taken, since we have collected the amount. They think that we are soft to them. We are not. We have been hard with them, and we have collected the amount.

[Shri Sanjiva Reddy]

Shri B. K. Das wanted some information. I think I have covered it. Therefore I am happy and I hope that TISCO also will agree to this and pay half the amount immediately, and the other half by instalments.

Mr. Chairman: What was the reason to forego interest from 1st July, 1958 to 31st March, 1961?

Shri Sanjiva Reddy: While negotiations were going on, it was conceded by both sides that production had not begun during that two or three-year period and that they did not make a profit. It was agreed to by both the parties. While having talks with two parties, naturally some concessions will have to be conceded here and there.

Mr. Chairman: The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday.

17:26 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 6, 1965/Agrahayana 15, 1887 *(Saka).*